

मि० न० 11/2024

25
2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी प्रदीप कुमार कवाथरा उपस्थित। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में अवमानक **(sub standard)** मावा का विक्रय करना पाया गया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। अतः अप्रार्थी प्रदीप कुमार कवाथरा पुत्र श्री कश्मीरी लाल जी उम्र-54 वर्ष, जाति-पंजाबी, (खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर), मैसर्स-जय माता दी स्वीट सेन्टर, बाजार नम्बर 02, रामगंजमण्डी, जिला-कोटा, निवासी वार्ड नम्बर 11, पंजाबी गली, रामगंजमण्डी, कोटा पर 5000/- रुपये (अक्षरे पांच हजार रुपये) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जय नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमिल दाखिल दफतर हो।

अति. सहा. कलक्टर
कोटा

Post vide R. No. 096977/2024
कोटा

कश्मियर
कार्यालय
कोटा